

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1065
8 फरवरी, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

‘टेक्सटाइल इंडिया 2017’ का आयोजन

1065. श्री रत्न लाल कटारिया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गांधीनगर में एक तीन दिवसीय वैश्विक वस्त्र और हस्तशिल्प गतिविधि ‘टेक्सटाइल इंडिया 2017’ आयोजित हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्रों में नवोन्मेष हेतु कदम उठाए हैं ताकि देश ‘मेक इन इंडिया’ पहल पर ध्यान केंद्रित कर सके;
- (ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार देश के वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग को न केवल देश के सूक्ष्म मध्यम उद्यमों का भाग मानती है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का मुख्य निर्माता भी है; और
- (ङ) यदि हां, तो इस सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री अजय टम्टा)

(क): जी, हां। वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 30 जून, 2017 से 2 जुलाई, 2017 तक महात्मा मंदिर, गांधी नगर, गुजरात में टेक्सटाइल्स इंडिया-2017 नामक तीन दिवसीय मेगा वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इस आयोजन का शुभारंभ दिनांक 30 जून, 2017 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था। उक्त मेगा कार्यक्रम आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य दुनिया के सामने समग्र मूल्य श्रृंखला वाले भारतीय वस्त्र क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करना था। इस आयोजन में 105 देशों के खरीदारों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों, प्रतिनिधियों और कारीगरों तथा बुनकरों ने भाग लिया। इस आयोजन ने वस्त्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न सेगमेंटों में बी2बी परिचर्चा तथा निवेश और प्रौद्योगिकी में संबंध स्थापित करने का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। इस आयोजन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी सरकार और कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों सहित विभिन्न संगठनों के बीच 65 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय केंद्रीय मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 देशों के सत्र, 7 राज्य सत्र, 6 सम्मेलन, एशियाई देशों का एक सम्मेलन, 26 गोलमेज सम्मेलन और फैशन शो आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन कर्ताओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

(ख) और (ग): जी, हां। सरकार ने वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्र में नवाचार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए उपायों का ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(घ) और (ड): जी, हां। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र, भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। इन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार, **अनुबंध-11** में यथा-उल्लिखित पूर्वोत्तर राज्यों सहित संपूर्ण भारत में विभिन्न योजनाएं चला रही है।

विगत तीन वर्षों के दौरान की गई पहलें

1. **पहचान आईडी कार्ड:** आज की तारीख तक पूरे भारत से कुल 20.22 लाख आवेदन प्राप्त हुए और 16.97 लाख पहचान पत्र मुद्रित किए गए हैं जबकि कर्नाटक राज्य में 24 जनवरी, 2018 तक 12693 आवेदन प्राप्त हुए और 11,972 पहचान पत्र मुद्रित किए गए।
2. एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं संवर्धन के लिए विशेष परियोजना 208.81 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार राज्यों के लिए स्वीकृत की गई है।
3. मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली (उत्तर प्रदेश), जोधपुर, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में 376.93 करोड़ रुपए (269.50 करोड़ रुपए : भारत सरकार की हिस्सेदारी) की परियोजना लागत से 6 मेगा कलस्टर जिसमें से कुल 115.38 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान 40.03 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई।
4. **हस्तशिल्प कारीगरों के लिए प्रत्यक्ष विपणन पोर्टल 'इंडिया हैंडमेड बाजार' का प्रयोग:** वास्तविक हस्तशिल्प कारीगरों को प्रत्यक्ष बाजार पहुंच सुविधा प्रदान करने और हस्तशिल्प उत्पादकों के बारे में उन्हें अद्यतन सूचना प्रदान करने तथा उनके उत्पादों को रिटेल ग्राहकों, ई-कॉमर्स व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों और उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए एक उत्पादक पोर्टल (इंडिया हैंडमेड बाजार) तैयार किया गया है।
5. मिर्जापुर-भदोही क्षेत्र में परंपरागत कालीन बुनाई करने वाले परिवारों से कालीन/दरी बुनाई के गुणवत्तात्मक और मात्रात्मक उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 80 लाख रुपए की परियोजना लागत से पुश्तैनी हुनर विकास योजना स्वीकृत की गई है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), भदोही, शिल्पकार परिवारों के 16 से 25 वर्ष आयु समूह के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी। पहले चरण में इस योजना में 1000 कालीन बुनकरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
6. वस्त्र मंत्रालय ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण वर्ष को समर्पित 202 हस्तकला सहयोग शिविर पॉकेट/कलस्टर कैंप 7 से 17 अक्टूबर, 2017 को आयोजित किए। इस शिविर (कैंपों) के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप संपन्न किए गए:
 1. उस क्षेत्र के कारीगरों को एक प्रमुख सार्वजनिक जगह पर एकत्रित किया जाना।

2. उस क्षेत्र के बैंकों को कारीगरों द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्रा ऋण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाना।
3. एलआईसी अधिकारियों को आम आदमी बीमा योजना के लिए कारीगरों के नामांकन हेतु आमंत्रित किया जाना।
4. कारीगरों को पहचान के अंतर्गत कारीगर पहचान पत्र का वितरण और कारीगर पहचान पत्र नहीं रखने वाले कारीगरों से आवेदनों का एकत्रीकरण।
5. उस कलस्टर में कारीगरों को टूल किट का वितरण। किए गए शिल्प कार्य के आधार पर प्रति कारीगर 10000 रुपए की अधिकतम सहायता दी जाएगी।
6. आर्ट ई-फेक्ट्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक और एक्सपो।
7. जीएसटी, कल्याण योजना, भौगोलिक संकेतन अधिनियम तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर पर जागरूकता पैदा करना।
8. कारीगरों को उन्नत टूल किटों के वितरण के लिए अपेक्षित व्यय के अतिरिक्त प्रति शिविर इन कैंपों की व्यवस्था के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे।

हस्तशिल्प क्षेत्र

- **मानव संसाधन विकास योजना:** हस्तशिल्प क्षेत्र को योग्य तथा प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। इस योजना का उद्देश्य अपने संघटकों के माध्यम से प्रासंगिक इनपुट प्रदान करके हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षित डिजाइनरों के कैंडिडेट के संदर्भ में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानव पूंजी का सृजन करना भी है। वर्ष 2017-18 में दिसंबर, 2017 तक 5805 कारीगर लाभान्वित हुए।
- **स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण:** इसका उद्देश्य संस्थागत ढांचे का सृजन करके सतत और संपोषणीय तरीके से हस्तशिल्प के विभिन्न ट्रेड में कौशल उन्नयन/प्रशिक्षण देना है। इसे पात्र भागों में यथा-उल्लिखित संस्थाओं द्वारा चलाए गए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त करना है। वर्ष 2017-18 में दिसंबर, 2017 तक 400 कारीगर लाभान्वित हुए।
- **हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस संघटक के अंतर्गत दो प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए; तकनीकी प्रशिक्षण और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण। वर्ष 2017-18 में दिसंबर, 2017 तक 5120 कारीगर लाभान्वित हुए।
- **गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण:** शिल्प की संपोषणीयता सुनिश्चित करने के लिए यह नई पीढ़ी को मास्टर शिल्पियों से परंपरागत ज्ञान अंतरित करने हेतु सहायता प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत मास्टर शिल्पियों द्वारा नए/अर्द्ध कुशल कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017-18 में दिसंबर, 2017 तक 285 कारीगर लाभान्वित हुए।
- **डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना:** विदेशी बाजारों के लिए नवीन डिजाइनों और प्रोटो टाइपों के विकास के माध्यम से कारीगरों के कौशल उन्नयन, लुप्तप्राय शिल्पों का पुनरुद्धार और विरासत का परिरक्षण आदि इस का उद्देश्य है। वर्ष 2017-18 में दिसंबर, 2017 तक 1810 कारीगर लाभान्वित हुए।

हथकरघा क्षेत्र

- **व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना/व्यापक हथकरघा विकास योजना:** अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करके विशिष्ट उत्पादों में बेहतर भंडारण सुविधाओं वाले मेगा हथकरघा कलस्टरों का विकास करना, करघा पूर्व/करघा पर/ करघा पश्चात प्रचालनों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनाई शेड, कौशल उन्नयन, डिजाइन इनपुट, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि।
- **यार्न आपूर्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र को मूल कच्ची सामग्री की नियमित आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए पात्र हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराना है और क्षेत्र की पूर्ण रोजगार संभावना का उपयोग करने में मदद करना है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना:** इस योजना का उद्देश्य रोजगार और हथकरघा उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर में हथकरघा क्षेत्र का विकास करना है। पूर्वोत्तर में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं निम्नलिखित हैं:
 - पूर्वोत्तर में कलस्टर विकास परियोजना
 - पूर्वोत्तर में हथकरघों का प्रौद्योगिकी उन्नयन
 - पूर्वोत्तर में वस्त्र और हथकरघा उत्पादों का बाजार संवर्धन

